न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –144/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/168

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमति पूजा पत्नी ललित कुमार सोनी, जाति–सोनी, निवासी–खजवाना, तहसील–मूण्डवां जिला–नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मूण्डवा

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री मधुर सिखवाल उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 22.07.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार, मूण्डवां द्वारा प्रकरण संख्या 88/2023 अन्वान सरकार बनाम महेन्द्रसिंह में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.07.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

प्रकरण में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र पर वकील उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान वकील अपीलांट का तर्क हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील की जानकारी पूर्व में कभी भी अपीलांट को नही रही, हाल ही में पटवारी हल्का ने मौके पर आकर बेदखल करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की जानकारी अपीलांट को दी, जिस पर अपीलांट अचम्भित रह गया व तुरन्त ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका व पत्रावली की नकले प्राप्त कर अविलम्ब ही अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं, जो जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की गई हैं। जरिये बेचान व पुरातन कब्जे के मौके पर काबिज व्यक्ति अपीलांट हैं, मौके पर महेन्द्रसिंह नामक कथित गैर सायल का किसी तरह का कोई कब्जा वर्तमान में तथा आदेश व कार्यवाही की तिथि के समय व खरीद उपरांत नही रहा हैं। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही रहा हैं, किन्तु मौका पर काबिज हितबद्ध खरीददार काबिज काश्तकार व्यक्ति हैं, ऐसी सूरत में मियाद अवधि को माफ कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायसंगत हैं। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी /अपीलांट की अपील हाजा जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 20.12.2023 को पारित किया हैं तथा इस निर्णय की अपील दिनांक 30.07.2024 को पेश की

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

22/7/25
कलक्टर नागौर

गई हैं। इस प्रकार 06 माह से ज्यादा विलम्ब का इस प्रकरण में कोई संतोषप्रदन कारण नहीं दर्शाया गया हैं। इसलिए अपील अन्दर मयाद नहीं होने से खारिज फरमायी जावें।

प्रस्तुत अपील के साथ दफा 96 का प्रार्थना–पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पक्षकार नहीं होने से यह अपील पेश करने की अनुमति चाही हैं।

अपील के साथ प्रस्तुत दफा 96 के प्रार्थना–पत्र पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट का कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील की जानकारी पूर्व में कभी भी अपीलांट को नही रही, हाल ही में पटवारी हल्का ने मौके पर आकर बेदखल करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की जानकारी अपीलांट को दी, तब इस अपील की जानकारी अपीलांट को हुई है। प्रश्नगत भूमि पर जरिये बेचान व पुरातन कब्जे के मौके पर काबिज व्यक्ति अपीलांट हैं, मौके पर महेन्द्रसिंह नामक कथित गैर सायल का किसी तरह का कोई कब्जा वर्तमान में तथा आदेश व कार्यवाही की तिथि के समय व खरीद उपरांत नही रहा हैं। वर्तमान में इस जमीन पर कब्जा अपीलांट का हैं,इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का हक प्राप्त होने से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई हैं। अतः निवेदन हैं कि अपीलांट को हस्तगत अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना व गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्याय हित में आवश्यक व न्याय संगत है। अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश जेर अपील के विरूद्ध अपील पेश करने का अवसर, अनुमति, आज्ञा, आदेश, निर्देश एवं व्यवस्था प्रदान की जावें।

विद्वान राजपेकार का दौराने बहस कथन था कि जब अपीलांट को सरकारी गै0मु0 अंगोर की भूमि पर कोई हक ही प्राप्त नहीं हैं तथा प्रकरण दर्ज कराते समय पटवारी हल्का ने अवैध कब्जा श्री महेन्द्रसिंह का माना था तथा उसी आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने महेन्द्रसिंह का अवैध कब्जा मानते हुवे अपने निर्णय में उन्हें बेदखली एवं जुर्माना का आदेश दिया हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं हैं तथा प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होने से उन्हें अपील पेश करने का अधिकार भी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

वकील उभय पक्षकारान की मूल अपील पर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट का दोराने बहस कथन हैं कि गैर सायल महेन्द्रसिंह पुत्र भूराराम जाति–जाट,निवासी–खजवाना हाल तखतगढ जिला–पाली को बताकर उसके विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार मूण्डवा के द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जरिये सम्मन तलब किया गया तथा मुताबिक आदेशिका पत्रावली दिनांक 26.07.2023 को नियत की गई, उपरांत पत्रावली गैर सायल की अनुपस्थिति बताते हुए आगामी पेशियो में नियत की गई व पटवारी हल्का को गैर सायल के पत्ते की जानकारी हेतु लिखा गया व उपरांत पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली पेशी पर पेश होना बताकर आगामी दिनांक 07.11.2023 सुनवाई हेतु अधीनस्थ अदालत में नियत की गई। उपरांत अदालत हाजा के पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली में लगातार तारीख पेशी बदली जाती रही हैं। दिनांक 20.12.2023 की कांट छांट सहित आदेशिका में अधीनस्थ अदालत के पीठासीन अधिकारी ने मौका स्थिति की तथ्यात्मक जांच,

कलक्टर नागौर

परख साक्ष्य संग्रहित किये बिना "वास्ते परीक्षण" पत्रावली का इन्द्राज आदेशिका से काटते हुए सीधे ही पत्रावली निर्णय हेतु मुकर्रर कर दी व पश्चात दिनांक 20.12.2023 को आदेश जेर अपील पारित करते हुए गैर सायल महेन्द्रसिंह पुत्र भूराराम जाट निवासी खजवाना हाल तख्तगढ जिला पाली को खसरा नम्बर 39 किस्म गैर मुमकिन अंगोर रकबा 0.0806 हैक्टेयर भूमि पर संवत 2080 का अतिक्रमी अवैध रूप से पानी की डिग्गी बनाकर कब्जा करने का मानकर धारा 16 टिनेन्सी एक्ट 1955 का गलत अवलम्बन, निर्वचन मनमाफिक लेकर खसरा नम्बर 39 व आस पास के किसी श्री पडोसियान खसरान से बेकाबिज महेन्द्रसिंह को ही खसरा नम्बर 39 का तथाकथित अज्ञात, भ्रामक व अनिर्णित अतिक्रमी घोषित कर मान लिया और ऐसे ही गैर सायल के विरूद्ध बेदखली का आदेश जेर अपील पारित करते हुए उसे बेकब्जा करने का आदेश जेर अपील पारित कर दिया। जबकि वास्तविक स्थिति तो यह है कि पंजीबद्ध बेचाननामा 27.09.2023 के द्वारा महेन्द्रसिंह पुत्र भूराराम,जाति जाट निवासी खजवाना तहसील मूण्डवा हाल तख्तगढ जिला पाली द्वारा अपीलांट को हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 3.7555 हैक्टेयर में से 0.6475 हैक्टेयर पश्चिमी भाग मुताबिक संलग्न नक्शा के जरिऐ रजिस्टर्ड विकय पत्र से विक्रय कर दी एवं उसी हैसियत से अपीलांट द्वारा इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया। बेचान किये गये उक्त रकबा 8 बीघा के दक्षिण में विक्रेता रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार ने दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 39 पर अपना पुश्तैनी कब्जा के तमाम हक हंकूक अधिकार भी जरिये नोटराईज्ड लिखत लिखा पढी दिनांकित 27.09.2023 के जरिए प्रार्थी को विकय कर दी। जिससे प्रश्नगत भूमि एवं कथित स्थल पर जरिये खरीद के खरीदसुदा काबिज स्वामी पुरातन समय से अपीलांट की हुई, रही व थी। मगर पटवारी हल्का ने कार्यालय में बैठकर एक मुलाहिजा की कागजी रिपोर्ट तैयार कर शामिल मिसल कर दी और उसे आधार बनाकर तहसीलदार अधीनस्थ अदालत ने आदेश जेर अपील अपीलांट को बिना सुने, बिना मौके व रेकर्ड की स्थिति का मुलायजा किये, गलत अनुचित व अवैध प्रकार से निर्णय पारित कर दिया, जो महज स्थानीय राजनैतिक प्रतिद्विन्धता, रंजिश व अदावत से बड़े लोगो के इशारे पर मोटी रकम लेकर की गई मिलावटी कार्यवाही मात्र हैं, जिससे प्रार्थीया हितबद्ध है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियो के, विरूद्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 40 रकबा 8 बीघा पर अपीलांट का कब्जा हैं, जिसके ठीक दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 39 की कथित भूमि स्थित हैं, ऐसी सूरत में मुन्तकिल पाइंट पर नाप चौप किया जाना आवश्यक हैं, साथ ही वर्तमान मौके की स्थिति व प्रकृति मुताबिक राजस्व रेकर्ड तैयार किया जाना,सेटलमेन्ट विभाग की रिपोर्ट लिया जाना व भू सेटलमेन्ट विभाग की राय इस संबंध में ली जानी प्रासंगिक थी। इसके बावजूद अपीलांट काबिज व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना तथा उसे नोटिस दिये बिना तथा उसे सुने बिना तथा उसका जवाब लिये बिना, मौके पर आये बिना, कार्यालय में बैठकर हस्तगत तमाम कार्यवाही की गई है क्योकि पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत नक्शा में कही भी नाप का उल्लेख नही किया गया है एवं न ही किस दिशा में, कितने नाप पर अतिक्रमण किया हैं, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन किया गया हैं, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व

कलक्टर नागौर

अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही हैं, मातहत न्यायालय ने इस विधिक बिन्दू को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की हैं, जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जानें योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय हैं, यहं निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ हैं, इसमे मात्रं खाली स्थानो की पूर्ति के लिए नाम व खसरा नंम्बर व जुर्माने का अंकन किया गया हैं, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व में ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड में पूर्ति के लिए यह निर्णय जेर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्धं निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, मगर वर्तमान प्रकरण में मातहत न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने में निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया हैं, जो विधि सम्मत निर्णय नही होने के कारण निरस्त किया जावें।

अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मूण्डवां द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 88/2023 बअनवान सरकार बनाम महेन्द्रसिंह में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 को खारिज किये जाने का आदेश फरमावे ।

राजपैरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि प्रश्न भूमि ग्राम खजवाना के खसरा नम्बर 39 गै0मु0 अंगोर की भूमि हैं। इसलिए राजकीय गै0मु0 अंगोर की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। श्री महेन्द्रसिंह द्वारा इस भूमि अवैध पानी की डिग्गी एवं बाड़ लगाकर कब्जा किये जाने पर उसके विरूद्ध पटवारी हल्का ने बाद जॉच प्रकरण न्यायालय तहसीलदार,मूण्डवां में पेश किया तथा माननीय न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को बेदखली एवं जुर्माना का आदेश दिनांक 20.12.2023 को पारित किया हैं। जो विधिवत् आदेश पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 40 की भूमि क्रय की हैं,खसरा नम्बर 39 के सम्बन्ध किसी प्रकार की लिखा पढ़ी करने का अधिकार न तो अतिक्रमी को हैं एवं न ही अपीलांट को हैं। अपीलांट को यह अपील पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होते हुवे भी यह अपील पेश की हैं,जो भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से पटवारी हल्का,खजवाना एवं भू0अभि0निरीक्षक,खजवाना ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 12.07.2023 को तहसीलदार,मूण्डवां को इस आशय की पेश की हैं कि श्री महेन्द्रसिंह पुत्र भुराराम,जाति–जाट,निवासी–खजवाना हाल निवासी तखतगढ़ जिला पाली ने ग्राम खजवाना के खसरा नम्बर 39 रकबा 0.0806 हैं0 किस्म जमीनगै0मु0 अंगोर पर सम्वत् 2080 से अनाधिकृत कब्जा पानी डिग्गी व बाड़करके कर रखा हैं। राजस्व कार्मिको की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पेर प्रकरण संख्या 88/2023 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण के गैर सायल को नोटिस

कलक्टर नागौर

जारी किया गया तथा प्रकरण में निर्णय दिनांक 20.12.2023 जारी कर गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित करते हुवे बेदखली एवं जुर्माना के आदेश जारी किये गये हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट प्रकट हैं कि खसरा नम्बर 39 की भूमि राजकीय गैर मुमकिन अंगौर की भूमि हैं,यह भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि होती हैं। इस भूमि का पानी नाडी में इकट्ठा होता हैं जो आम जनता के पीने के लिए उपयोग में आता हैं। इस प्रकार की भूमियों धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती हैं,जिसका न तो आवंटन किया जा सकता हैं एवं न ही नियमन किया जा सकता हैं। मूल प्रकरण के गैर सायल द्वारा इस भूमि पर पानी की डिग्गी बनाकर एवं बाड़ लगाकर नाजायज कब्जा किये जाने पर दिनांक 12.07.2023 को उनके विरूद्व प्रकरण दर्ज किया गया एवं उनके विरूद्व ही निर्णित किया गया हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अपीलांट पक्षकार नहीं होने से उन्हें यह अपील लाने का कानूनन कोई अधिकार नहीं हैं। इस हेतु वकील अपीलांट का कथन हैं कि अतिकमी महेन्द्रसिंह द्वारा उन्हें नोटेरीपब्लिक से लिखा पढ़ी करके इस भूमि का कब्जा उन्हें सुपुर्द किया हैं। इस सम्बन्ध में यहॉ यह स्पष्ट किया जाता हैं कि राजकीय गै0मु0 अंगोर भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की लिखा पढ़ी करने का कोई अधिकार अतिकमी महेन्द्रसिंह को प्राप्त नहीं था एवं न ही अपीलांट को अपने पक्ष में इस प्रकार के किसी दस्जावेज का लेखन करवाने से गै0मु0 भूमि में कोई अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही विधिवत् नहीं हैं। इस प्रकार के दस्तावेज को नोटेरीपब्लिक करने का अधिकार भी सम्बन्धित नोटिरीपब्लिक को प्राप्त नहीं हैं। केवल मात्र बेदखली से बचने के लिए यह हथकढ़े अपनाये गये हैं,जो विधि विरूद्व हैं। प्रश्नगत भूमि पर विधिक कब्जा अतिकमी महेन्द्रसिंह का होने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए तहसीलदार,मूण्डवां द्वारा प्रकरण संख्या 88/2023 में अतिकमी महेन्द्रसिह के विरूद्व की गई कार्यवाही विधिवत् हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट को यह अपील लाने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने से तथा भूमि गै0मु0 अंगोर होने से इस भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित निर्णय दिनांक 20.12.2023 विधिसम्मत् होने से इस निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मूण्डवां का प्रकरण संख्या 88/2023 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2023 यथावत रखा जाता हैं। तहसीलदार,मूण्डवां को मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला ... न्यायालय
नागौर (राजस्थान)

22.7.25

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
कलक्टर नागौर
नागौर